संख्या– 373 /पॉच–9–2014–9(113)05

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 4 मार्च, 2014

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लागू 'जननी सुरक्षा योजना' के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–176/5–9–07–9(113)/05टीसी, दिनांक 08–06–2007 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने हेतु अनुमन्य प्रोत्साहन राशि के निर्धारण के सम्बन्ध में है।

2. इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त सचिव (आर0सी0एच0), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–Z 14018/1/2012–JSY, दिनांक 13.05.2013 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर–5 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

पूर्व व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
"गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 19 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं, जो घर पर प्रसव कराती हैं, को दो जीवित बच्चों के जन्म तक प्रति प्रसव रू0 500/– की नकद सहायता अनुमन्य होगी। ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन एवं आयु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा तथा प्रश्नगत प्रोत्साहन केवल दो जीवित बच्चों के जन्म के संबंध में ही अनुमन्य होगा।"	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू0 500/– की आर्थिक सहायता अनुमन्य की जायेगी।

3. शासनादेश दिनांक 08.06.2007 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

2/—

so

संख्या: 373(1)/पॉच–9–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव (आरसीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0डी0पी0, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5. अधिशाषी निदेशक, सिफ्सा, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज/महिला एवं बाल विकास/समेकित बाल विकास परियोजना/ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)

संयुक्त सचिव।